झारखण्ड सरकार

# विधि विभाग

## झारखण्ड विधान मंडल के नेता विरोधी दल (वेतन एवं भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2008

सत्यमेव जयते

2008

# झारखंड विधान–मंडल के नेता विरोधी दल (वेतन एवं भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2008

## विषय–सूची ।

### खण्ड–1


1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ।
2. झारखण्ड अधिनियम, 02, 2001 यथासंशोधित अधिनियम–14, 2002 की धारा–2 का संशोधन।
3. झारखण्ड अधिनियम, 02, 2001 यथासंशोधित अधिनियम–14, 2002 की धारा–3 का संशोधन।

# झारखंड विधान–मंडल के नेता विरोधी दल (वेतन एवं भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2008

झारखंड विधान–मंडल में नेता विरोधी दल (वेतन एवं भत्ता) अधिनियम, 02, 2001 में संशोधन करने के लिए विधेयक –

भारत गणराज्य के 59वाँ वर्ष में झारखण्ड विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भः–

   (i). यह अधिनियम झारखंड विधान मंडल के नेता विरोधी दल (वेतन एवं भत्ता) (संशोधन) अधिनियम, 2008 कहा जा सकेगा।

   (ii). इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

   (iii). यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगा ।

2. झारखण्ड विधान मंडल नेता विरोधी दल (वेतन और भत्ता) अधिनियम, 02, 2001 यथा संशोधित अधिनियम–14, 2002 की धारा–2 में संशोधन– झारखण्ड विधान मंडल नेता विरोधी दल (वेतन और भत्ता) अधिनियम, 02, 2001 यथा संशोधित अधिनियम–14, 2002 की धारा–2 में अंक और शब्द 5,000/– (पांच हजार) रुपये के स्थान पर 10,000/–(दस हजार) रूपये प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

3. झारखण्ड विधान मंडल नेता विरोधी दल (वेतन और भत्ता) अधिनियम, 02, 2001 यथा संशोधित अधिनियम–14, 2002 की धारा–3 में संशोधन– झारखण्ड विधान मंडल नेता विरोधी दल (वेतन और भत्ता) अधिनियम, 02, 2001 यथा संशोधित अधिनियम–14, 2002 की धारा–3 में अंक और शब्द 8,000/–(आठ हजार) रूपये के स्थान पर 12,000/–(बारह हजार) रुपये प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

# वित्तीय संलेख

झारखंड विधान मंडल, नेता विरोधी दल (वेतन एवं भत्ता) अधिनियम–2001, में संशोधन कर नेता विरोधी दी के वेतन और भत्ता एवं अन्य सुविधाओं में वृद्धि का प्रावधान किया जा रहा है, इसके फलस्वरूप राज्य सरकार पर प्रतिवर्ष लगभग 2,50,000/– (दो लाख पचास हजार) रूपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा, जिसपर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर ली गयी है।

(स्टीफन मरांडी)
भार साधक सदस्य

# उद्देश्य एवं हेतु

संसदीय प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था में विभिन्न विकास के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में जनप्रतिनिधियों की भी सीधी भागीदारी पहले से अधिक हो गयी है। संसदीय व्यवस्था के बढ़ते दायित्वों एवं कर्त्तव्यों के निर्वहन में नेता प्रतिपक्ष को भी विभिन्न स्तरों पर अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करना पड़ता है।

इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए नेता प्रतिपक्ष के भत्तों एवं अन्य सुविधाओं में बढ़ोत्तरी करना आवश्यक प्रतीत होता है, जो इस विधेयक का उद्देश्य है तथा इसको अधिनियमित करना ही इस विधेयक का अभीष्ट है ।

**(स्टीफन मरांडी)**
**भार साधक सदस्य**